उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

सरकार
बनाम
सद्दाम हुसैन

आदेश फलक तारीख............से..............तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :–31/2018–19

वाद का प्रकार :– अधिहरण (Confiscation)

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, गुमला के पत्रांक–3946/अप0 शा0 दिनांक–28.12.2018 द्वारा सिसई थाना काण्ड सं0–165/2018 दिनाक–12.11.2018 धारा–379 भा0द0वि0 21 खान तथा खनिज (विकास विनियमन) अधिनियम 1957 एवं 54(5) झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली (संशोधित) 2017 तथा धारा 09 झारखण्ड लघु खनिज परागमन चालान अधिनियम के आलोक में अवैद्य रुप से बालू चोरी करने के आरोप में जप्त ट्रैक्टर गाडी सं0–JH08E-7497 को राजसात की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्राप्त है।

उपरोक्त अधिहरण वाद सं0–31/2018–19 व्यवहार न्यायालय में लंबित होने के कारण संबंधित न्यायालय में वाद का निष्पादन पूर्ण होने तक वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

पुलिस अधीक्षक गुमला/सहायक लोक अभियोजक, गुमला को निदेश दिया जाता है कि व्यवहार न्यायालय में वाद का निष्पादन होने की सूचना अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपलब्ध करायी जाय, ताकि संबंधित न्यायालय द्वारा पारित आदेश के उपरान्त उक्त वाद पर पुनः सुनवाई हेतु आवश्यक कार्य की जा सके।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक गुमला/सहायक लोक अभियोजक, गुमला को भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

20.04.22
उपायुक्त,
गुमला

20.04.22
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.04.27 12:10:30 +05:30
Location: 192.168.1.49